न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर,कैम्प,भोपाल

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

PBR/निगरानी/हरदा/भू-रा/2017/2465

385

गबू कुम्हार आयु 58 वर्ष आ0 श्री देवाजी

निवासी–ग्रा. रेलवां,तहसील हंडिया,जिला हरदा(म.प्र.) ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती शीतल पत्नि रामजीवन उपाध्याय

निवासी ग्राम रेलवां,

हाल निवास श्यामा नगर,हरदा,तहसील व जिला हरदा(म.प्र.)

2. विमल आ0 विहारी ब्राम्हण,

3. नारायण आ. विहारी ब्राम्हण

क्रमांक–2 एवं 3 निवासी ग्राम रेलवां,

तहसील हंडिया,जिला हरदा(म.प्र.) ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.।

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी,हरदा,के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक–16/अपील वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका जिसके माध्यम से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बगैर इस पुनरीक्षणकर्ता को सूचना दिये, उत्तरवादी क्रमांक–1 का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 स्वीकार किया।

संक्षिप्त तथ्य

यह कि उत्तरवादी क्रमांक–1 द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय हंडिया,जिला हरदा के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक–4अ–70 वर्ष 2012–13 दर्ज किया जाकर विचारण कर दिनांक 14.08.2014 को आवेदन पत्र निरस्त किया। जिससे विपरीत प्रभावित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा के समक्ष अवधि बाहय प्रस्तुत की। जिसमें इस उत्तरवादी को बगैर सूचना दिये, नियमों के विपरीत आदेश पारित कर दिनांक 23.07.2015 को धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया गया, तथा सकल अपील प्रकरण में इस पुनरीक्षणकर्ता को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/2465 गबू कुम्हार विरूद्ध शीतल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.पी.यादव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित कपूर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर हरदा के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

30/01/19

	निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर हरदा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर हरदा के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 30/01/19 सदस्य	